**धारा 106 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत A/D नोटिस**

**(Notice under/sec. 106 of the T.P. Act, 1882 Registered AD)**

दिनांक .......

सेवा में

C.D.F.

..........

महोदय

मेरे व्यवहारी श्री. ............ की ओर से और उनके आदेशानुसार मै आपको निम्नांकित धाराओं में अंकित नोटिस प्रेषित कर रहा हूँ –

1. यह कि आप मेरे व्यवहारी के मकान स्थित मौ० ............ में अंकन रु० .......... मासिक किराये पर किरायेदार हैं। किरायेदारी प्रत्येक माह की दिनाँक ............ से आरम्भ होती

2. यह कि मेरा व्यवहारी अब आपको उक्त मकान में किरायेदार रखना नहीं चाहता और धारा 106 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत 30 दिवस का नोटिस देकर आपकी किरायेदारी समाप्त कर रहा है-- \_\_\_ अत: इस नोटिस द्वारा आपसे अनुरोध है कि आप नोटिस प्राप्त करने के 30 दिवस के अन्दर मेरे व्यवहारी को मकान का खाली कब्जा दे दे---नोटिस प्राप्ती के 30 वें दिन आपकी किरायेदारी समाप्त है-नोटिस समाप्त करने के 30 दिवस में यदि आपने मकान का खाली कज्जा मेरे व्यवहारी को नहीं दिया तो मेरे व्यवहारी सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आपके खर्चे पर करेगा।

**....... अ०ब०स० आपका शुभेच्छु**